संख्या- 28 /2021/531/24-1-21-81पी/2015

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,

विद्युत सुरक्षा निदेशालय,

विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक मार्च, 2021**

विषय:विद्युत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-4449 मु0/एक-5(बजट)/2020-21, दिनांक 01 मार्च, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03-विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-03-मंहगाई भत्ता में प्राविधानित धनराशि रूपये 5,14,25,000/- (रूपये पॉच करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) में से हो रही सम्भावित बचत धनराशि रूपये 24,50,000/- (रूपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र) में से धनराशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय को अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक-2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-03-विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानक मद-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु धनराशि रूपये 16,000/- (रूपये सोलह हजार मात्र) एवं मानक मद-52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) हेतु धनराशि रूपये 84,000/- (रूपये चौरासी हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) को स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहें है उसी मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जाय।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय।

(4) प्रस्तर-1 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गयी धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति हेतु संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनिमित्ता का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24,03,2020, 07,04,2020, 11,04,2020 एवं 18,05,2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

3- आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार- विद्युत शुल्क-03- विद्वुत सुरक्षा निदेशालय" के नामे डाला जायेग।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई0-10- 74 /दस-2021, दिनांक 17 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-28/2021/536(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।

3- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in